सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 1984

क्र. सी-6-5-83-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं. अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 15 में,—

(क) उपनियम (3) में शब्द, अंक तथा कोष्ठक "के खंड (एक) से खंड (चार)" तक का लोप किया जाय,

(ख) उपनियम (4) का लोप किया जाए.

(2) नियम 27 के परन्तुक में, खंड (दो) तथा (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित खंड स्थापित किये जाएं, अर्थात्:—

"(दो) यदि बढ़ाई गई शास्ति, जिसे अधिरोपित करना अपीलीय प्राधिकारी प्रस्तावित करे, नियम 10 के खंड (पांच) से खंड (नौ) तक में उल्लिखित की गई शास्तियों में से एक शास्ति हो तथा मामले में नियम 14 के अधीन जांच पूर्व में न की गई हो, तो अपीलीय प्राधिकारी, नियम 19 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, स्वयं ऐसी जांच करेगा या यह निदेश देगा कि ऐसी जांच नियम 14 के उपबन्धों के अनुसार की जाए और उसके पश्चात् ऐसी जांच की कार्यवाहियों पर विचार करके ऐसे आदेश देगा जैसे कि वह उचित समझे.

(तीन) यदि बढ़ाई गई शास्ति, जिसे अधिरोपित करना, अपीलीय प्राधिकारी प्रस्तावित करें, नियम 10 के खंड (पांच) से खंड (नौ) तक में उल्लिखित की गई शास्तियों में से एक शास्ति हो तथा मामल में नियम 14 के अधीन जांच पूर्व में ही करली गई हो तो अपीलीय प्राधिकारी, प्रस्तावित की गई शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करन का अपीलार्थी को युक्तियुक्त अवसर दने के पश्चात् ऐसा आदेश देगा जैसा कि वह उचित समझे."

(3) नियम 29 में, उपनियम (1) के परन्तुक में, शब्द, "तथा संबंधित शासकीय सेवक की जांच के दौरान पेश कियेगये साक्ष्य के आधार पर प्रस्तावित की गई शास्ति के विरुद्ध कारण बतलाने का युक्तियुक्त अवसर दने के पश्चात्" का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानसार,
व्ही. जी. निगम, सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 1984.

एफ. क्र.-सी-6-5-83-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी- 6-5-83-3-एक, दिनांक 23 जुलाई 1984 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. जी. निगम, सचिव.

Bhopal, the 23rd July 1984

No. C-6-5-83-3-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendments in the Madhya Pridesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules—

(1) in rule 15,—

(a) in sub-rule (3), the words, figures and brackets, "clause (i) to (iv) of" shall be omitted.

(b) sub-rule (4) shall be omitted.

(2) in proviso to rule 27 for clauses (ii) and (iii) the following clauses shall be substituted. namely:—

"(ii) If the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 10 and an inquiry under rule 14 has not already been held in the case, the appellate authority shall, subject to the provisions of rule 19, itself hold such inquiry or direct that such inquiry be held in accordance with the provisions of rule 14 and thereafter on consideration of the proceedings of such inquiry, make such orders as it may deem fit.

(iii) If the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 10 and an inquiry under rule 14 has already been held in the case, the appellate authority shall, after giving the appellant a reasonable opportunity of making representation against the penalty proposed, make such order as it may deem fit."

(3) in rule 29, in proviso to sub-rule (1), the words, "and after giving a reasonable opportunity to the Government servant concerned of showing cause against the penalty proposed on the evidence adduced during the inquiry" shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
V. G. NIGAM, Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित 1984